झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-04

तृतीय सत्र
बुधवार, दिनांक-26 अगस्त, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 06.20 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री राजकुमार यादव एवं श्री अरुप चटर्जी सहित विपक्ष के प्राय: सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर हड़ताल पर डटे राज्य के पारा शिक्षकों की समस्याओं को हल किये जाने हेतु आसन से आग्रह करने लगे,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने उक्त विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाये जाने को ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि पारा शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण शिक्षण कार्य ठप्प हो चुका है, इसलिए सरकार इसका निदान करे,

iv- माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर ने भी आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए पारा शिक्षकों की समस्याओं पर सदन में चर्चा कराये जाने की मौंग की,

v- माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए आसन के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से आग्रह किया जा चुका है, इसलिए माननीय सदस्यों को धैर्य रखना चाहिए,

vi- माननीय सदस्य, श्री राजकुमार यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि हड़ताली पारा शिक्षकों की तबियत बिगड़ रही है और सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है,

vii- माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने पारा शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण स्कूलों में ताले लटक गये है, ग्रामीण बच्चे इन्हीं के भरोसे रहते है इसलिए सरकार को संवेदनशील होकर इसका निदान करना चाहिए, की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

viii- माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं श्री इरफान अंसारी ने माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का मामला उठाया,

ix- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने पुनः पारा शिक्षकों के मामले में उन्हें छत्तीसगढ़ अथवा बिहार की तर्ज पर वेतनमान दिये जाने हेतु आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया,

x- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आज दिये गये क्रमशः पारा शिक्षकों के समायोजन, झारखण्ड में स्थानीयता की नीति लागू किये जाने एवं माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्तावों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

2.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

आज दिनांक- 26.08.2015 को क्रमशः पारा शिक्षकों के समायोजन, झारखण्ड में स्थानीयता की नीति लागू किये जाने एवं माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्तावों के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किये जाने की जानकारी आसन द्वारा सदन को दी गयी। अनुपूरक बजट में वाद-विवाद के क्रम में ऐसे विषयों को चर्चा में शामिल किये जाने हेतु भी आसन द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया।

(शोरगुल)

3.विविध चर्चायें (क्रमांक-1 से जारी):-

i- माननीय सदस्या, श्रीमती निर्मला देवी की गिरफ्तारी तथा पारा शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराया गया,

ii- विभिन्न धाराओं के तहत श्रीमती निर्मला देवी, स० वि० स० की गिरफ्तारी की सूचना आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग से प्राप्त होने की जानकारी आसन द्वारा सदन को दी गयी,

iii- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों के सम्बन्ध में जारी किये गये पत्र को माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा अनुचित बताया गया जिसपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति जतायी,

iv- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने नियमानुसार भू-रैयतों को एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले चार गुणा राशि दिये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया तथा एन.बी.सी.सी. द्वारा घटिया निर्माण कराये जाने के जाँच की माँग की,

v- माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी ने श्रीमती निर्मला देवी, स० वि० स० पर धारा-307 लगाया जाना अनुचित बताया और इसी प्रकार के मामले में माननीय सदस्य, श्री डुलू महतो को बरी किये जाने पर आपत्ति जतायी तथा इस पूरे मामले की जाँच विधान सभा की समिति से कराये जाने की माँग उन्होंने की,

vi- माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव ने माननीय नेता, प्रतिपक्ष तथा माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा उठाये गये विषयों पर सरकार से उत्तर की अपेक्षा की।

4.आसन से नियमन:-

"माननीय सदस्य सदन में अपनी बातें प्रासंगिक विषय पर ही रखें, उनकी आवाजें नहीं रोकी जायेगी। संरक्षक के रूप में मैं आश्वस्त करता हूँ।"

5.प्रश्न काल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

(क) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-29

(i) उत्तरित मात्र-01-अ० सू०-29, श्री अनन्त कुमार ओझा स० वि० स०। (दिनांक-25.08.2015 से स्थगित)

(ii) स्थगित मात्र-01-अ० सू०-85, श्री आलमगीर आलम स० वि० स०।

(ii) अनागत कुल-27-अ० सू०-86 से अ० सू० 112 तक।

(ख) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-61

(i) उत्तरित कुल-04-तारांकित-40, श्रीमती विमला प्रधान, स० वि० स०, (दिनांक-25.08.2015 से स्थगित)
तारांकित-58, श्री गणेश गंझू, स० वि० स०,
तारांकित-60, श्री विकास कुमार मुण्डा, स० वि० स०,
तारांकित-61, श्री अमित कुमार, स० वि० स०।

(ii) अपृष्ठ मात्र-01-तारांकित-59, श्री डुलू महतो, स० वि० स०।

(iii) अनागत कुल-56-तारांकित-62 से 117 तक।

6.शून्यकाल:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनायें पढ़ीं -

श्री जगरनाथ महतो,
श्री जयप्रकाश वर्मा,
श्री दशरथ गागराई,
श्री लक्ष्मण टुडू,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्री अमित कुमार,
श्री राजकुमार यादव,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
डॉ० अनिल मुर्मू,
श्री ताला मराण्डी,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
श्री इरफान अंसारी,
श्री बिदेश सिंह,
श्री नारायण दास,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
श्री बादल,
श्री प्रदीप यादव,

(माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के विषय पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा आपत्ति जतायी गयी जिसपर आसन द्वारा निदेश दिया गया कि अनुचित तथ्यों से सम्बन्धित विषय को कार्यवाही का अंश न बनाया जाय जिसके विरोधस्वरूप माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव वेल में धरने पर बैठ गये, लेकिन आसन के आग्रह पर पुनः अपने स्थान पर चले गये।)

श्री आलमगीर आलम,
श्री बिरंची नारायण,
श्री रवीन्द्रनाथ महतो,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री हरिकृष्ण सिंह एवं
श्री जय प्रकाश भाई पटेल।

7.सूचना का दिया जाना:-

i- माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव ने दारोगा निरीक्षकों को उपार्जित अवकाश एवं 13 माह का वेतन दिये जाने हेतु आग्रह किया,

ii- चलते सत्र के दौरान सिंडिकेट की बैठक बुलाये जाने पर माननीय सदस्या, श्रीमती गीता कोड़ा ने आपत्ति जतायी,

iii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने भी डी.आर.डी.ए. की बैठक सत्रावधि में बुलाये जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। उक्त दोनों मामलों में आसन द्वारा निदेश दिया गया कि माननीय सदस्यों से जुड़ी बैठकें सत्रावधि में न रखी जाय जिसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा संज्ञान में लिया गया,

iv- गत दिनों देवघर में मची भगदड़ के कारण माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार ने देवघर तथा बासुकीनाथ को एक साथ शामिल कर प्राधिकार का गठन तिरूपति बालाजी के तर्ज पर किये जाने हेतु आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा ही किये जाने हेतु सहमति जतायी गयी।

8.ध्यानाकर्षण सूचनायें:-

i- माननीय सदस्या, श्रीमती बिमला प्रधान द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- माननीय सदस्य, श्री फुलचन्द मण्डल द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ। इस विषय पर भोजनावकाश के दौरान माननीय अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में माननीय मंत्री, माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य एवं विभागीय सचिव को उक्त विषय पर विमर्श हेतु आसन द्वारा बुलाया गया।

नोट:-दिनांक-25.08.2015 को माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी थी और उसपर सरकारी वक्तव्य भी हुआ था। तकनीकी कारणों से प्रकाशित दैनिक विवरणिका में वह अंकित नहीं हो सका था।

अत: इसे भी दिनांक-25.08.2015 की बुलेटिन के क्रमांक-7(ii) पर अंकित समझा जाय।

9. सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

i- माननीय सभापति, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत विधायक निधि अनुश्रवण समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

ii- माननीय सभापति, श्री अरुप चटर्जी द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

iii- माननीय सभापति, श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत याचिका समिति का दशम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

(अन्तराल)

अन्तराल के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

क्र०पृ०उ०

10.वित्तीय कार्य (25.08.2015 से जारी):-

दिनांक-25.08.2015 को प्रस्तुत मांग पर पुन: चर्चा प्रारम्भ की गयी जिसमें निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री मनोज कुमार यादव,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री योगेन्द्र प्रसाद,
श्री बिरंची नारायण,
श्री राजकुमार यादव,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री अरूप चटर्जी,
श्री हेमन्त सोरेन, नेता प्रतिपक्ष,

(सदन की सहमति से विनियोग विधेयक के पारित होने तक सभा का समय विस्तारित किया गया।)

सदन में प्रस्तुत मांग पर सकारात्मक वाद-विवाद के लिए आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दिया गया और सरकार से माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं के आलोक में उत्तर की अपेक्षा की गयी।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिये जाने के क्रम में विपक्ष के सम्पूर्ण माननीय सदस्यों द्वारा सदन का परित्याग किया गया।

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तदुपरांत ध्वनिमत से **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग''** से सम्बन्धित मांग स्वीकृत हुई।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य, श्री अरुप चटर्जी सदन में आये।)

11.विधायी कार्य:-

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। शेष माँगे मुखबन्द (गिलोटिन) के माध्यम से स्वीकृत हुई।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक- 27.08.2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रांची,
दिनांक-26 अगस्त, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।